प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

17 दिसंबर, 2024

“आयकर निर्धारिती से बकाया मांग” पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रेस विज्ञप्ति प्रत्यक्ष करों पर 2024 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने ‘**आयकर निर्धारिती से बकाया मांग’** पर विषय विशेष अनुपालन लेखा परीक्षा (एसएससीए) की । मई 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। प्रतिवेदन 17 दिसंबर 2024 को संसद के पटल पर रखी गई।

आयकर विभाग (आईटीडी) कर बकाया मांग को नियंत्रित करने वाले आयकर प्रावधानों को कर मांगों को वसूलने और कर चोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग करता है। राजस्व हितों की रक्षा के लिए इन प्रावधानों के होने के बावजूद, जिसमें कर मांगों का लगातार उच्च प्रतिशत जिसे आयकर विभाग द्वारा 'वसूली करना कठिन' बताया गया है, के साथ पिछले कुछ वर्षों में कर मांग के बकाया के संचय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । लेखापरीक्षा ने बकाया मांग की वसूली के संबंध में आयकर विभाग में मौजूद प्रक्रियाओं की मजबूती और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए इस विषय का चयन किया और सत्यापित किया कि आयकर विभाग ने बकाया मांग को समाप्त करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं या नहीं।

वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए 'कुल बकाया मांग' और आयकर विभाग द्वारा 'वसूली करना कठिन’ के रूप में वर्गीकृत मांग के विश्लेषण से पता चला है कि कुल बकाया मांग प्रत्यक्ष कर संग्रह से लगातार अधिक रही है। आयकर विभाग द्वारा 'वसूली करना कठिन' के रूप में वर्गीकृत मांग इन सभी वर्षों में कुल बकाया मांग का 97 *प्रतिशत* से अधिक थी।

एसएससीए में पूरे भारत में 279 मूल्यांकन इकाइयों और 74 कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) इकाइयों से संबंधित 12,73,180 निर्धारीतियों के संबंध में 21,58,443 मामलों को कवर किया गया, जिसमें कुल बकाया मांग ₹ 8,49,931 करोड़ थी, जो अखिल भारतीय स्तर पर कुल बकाया मांग का 52.50 *प्रतिशत है*/ यह एसएससीए बकाया मांग के संदर्भ में कुछ उच्च मूल्य वाले करदाताओं के 360 डिग्री विश्लेषण को भी सम्मिलित करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने बकाया मांग की गलत रिपोर्टिंग, बकाया मांग की वसूली में विफलता या देरी, प्रणालीगत मुद्दे जैसे विस्तृत आंकड़ों का अभाव, लक्ष्य निर्धारण में जोखिम स्कोरिंग तकनीक का अभाव, डोजियर रिपोर्टों का रखरखाव न करना तथा कमजोर निगरानी और समीक्षा तंत्र से संबंधित कई मुद्दों और कमियों को पाया।

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर कर मांगे जाने के मामलों को देखा, जैसे कि करदाता द्वारा पहले से भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट की अनुमति न देना, गलत ब्याज लगाना और अपील आदेशों को प्रभावी करने में गलतियाँ करना। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि बकाया मांग के आंकड़ों में निरस्त की गई मांगें शामिल हैं। अपील आदेशों को प्रभावी करने में देरी के परिणामस्वरूप प्रतिदाय जारी करने में देरी हुई; आयकर विभाग को आयकर अधिनियम की एकत्र की गई बढ़ी हुई मांगों को धारा 244ए के तहत ब्याज के साथ वापस करना पड़ा, इसके अलावा निर्धारीतियों को उत्पीड़न और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित अपील आदेशों को प्रभावी करने में सात साल तक की देरी हुई, जबकि एक मामले में अभी भी 11 साल से अधिक समय से आदेश का इंतजार है। परिणामी आदेश पारित करने में देरी के परिणामस्वरूप रिकॉर्ड पर बकाया मांग की अधिकता हो गई; कर मांग का भुगतान करने में देरी के लिए धारा 220(2) के तहत ब्याज न लगाने के परिणामस्वरूप बकाया मांग की कम रिपोर्टिंग हुई। सीबीडीटी को अभी भी अपने स्वयं के निर्देश के अनुसार, बकाया मांग पर वार्षिक रूप से ब्याज लगाने के लिए वर्तमान प्रणाली में आवश्यक प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की लागू की गई थी, लेकिन आयकर विभाग द्वारा कोई वसूली नहीं की जा सकी। टीआरओ ने संपत्ति कुर्क करने और उसका निपटान करने के लिए अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार विशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं किया, और उच्च मूल्य के मामलों में संपत्ति कुर्क करने के बाद भी वसूली प्रक्रिया धीमी थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि करदाता की चल और अचल संपत्तियों के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी के कारण अक्सर बकाया मांग की वसूली में देरी होती है, जो सीबीडीटी के निर्देशों का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जुलाई 2017 में जारी सीबीडीटी के निर्देश के अनुपालन में, सभी क्षेत्रों में टीआरओ का आंतरिक लेखापरीक्षा एक नियमित अभ्यास के रूप में नहीं किया जा रहा है। टीआरओ कर वसूली प्रमाण पत्र (टीआरसी) के निपटान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, यद्दिप क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) से टीआरओ को स्थानांतरित मामलों की संख्या नगण्य थी।

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र – आयकर विवरणी (सीपीसी-आईटीआर), बेंगलुरु, सारांश निर्धारण करता है, और उठाई गई मांगें वसूली के लिए संबंधित निर्धारण अधिकारी (एओ) के पोर्टल में दिखाई देती हैं। सारांश निर्धारण के तहत मांग के लिए वसूली प्रक्रिया समीक्षा निर्धारण के तहत उठाई गई मांग के समान है। हालांकि, आयकर विभाग को सारांश निर्धारण के तहत उठाई गई मांगों की वसूली के लिए डोजियर तैयार

करने, बैंक खातों को कुर्क करने और मामलों को टीआरओ को स्थानांतरित करने जैसी प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ संपत्तियों की कुर्की का पंजीकरण, अन्य लेनदारों पर आयकर विभाग के अधिकार को बरकरार रखने के लिए वसूली तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। आयकर निदेशक (डीआईटी) {वसूली और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)} द्वारा निर्देश जारी करने के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीईआरएसएआई के साथ कुर्की का एक भी मामला दर्ज न होना, वसूली प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि डोजियर रिपोर्टें निगरानी अधिकारियों के लिए बकाया मांगों का विश्लेषण करने , नीतियां बनाने और संग्रह/वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करती हैं, लेकिन एओ ने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया, जैसा कि डोजियर रिपोर्ट तैयार न करने और उसी की तैयारी में विसंगतियों से जुड़े मामलों से स्पष्ट है। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि अंकगणितीय अशुद्धियों और अन्य विसंगतियों को देखते हुए, केंद्रीय कार्य योजना (सीएपी)-। विवरण डेटा अविश्वसनीय हैं। लेखापरीक्षा सीएपी-। विवरण के स्रोतों को सत्यापित नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सुरक्षात्मक मांगें जो संग्रहणीय मांगें नहीं थीं, उन्हें बकाया मांग के आंकड़े में शामिल किया गया था और सीएपी-। विवरण में 'वसूली करने में कठिन मांग' के तहत रखा गया था। ऐसे मामले जहां स्रोत पर कर कटौती सरकारी खाते में जमा कर दी गई है, लेकिन निर्धारीतियों को अभी भी दावा किए गए टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिला है, उन्हें 'वसूली करने में कठिन मांग' के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, जो 'वसूली करने में कठिन मांग' श्रेणी के आंकड़ों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करने में योगदान देता है।

इसके अलावा, विभिन्न आईटीडी डेटा स्रोतों में डुप्लिकेट मांगों की संख्या में अंतर था, जिसके परिणामस्वरूप बकाया मांग की गलत रिपोर्टिंग हुई। वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम केंद्रीय कार्य योजना में सीबीडीटी द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई पर आईटीडी द्वारा कोई जानकारी साझा नहीं की गई। डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ अभी भी मौजूद हैं, और हर साल नए डुप्लिकेट मामले जोड़े जाते हैं।

लेखापरीक्षा किसी भी स्तर पर किसी भी समिति के अस्तित्व और प्रभावी कामकाज पर आश्वासन नहीं प्राप्त कर सकी, जो बट्टे खाते में डालने के लिए पात्र मामलों पर विचार कर सके। इस प्रकार, राजस्व के हितों की रक्षा करने और कर बकाया के आगे संचय को रोकने का प्राथमिक उद्देश्य काफी हद तक अधूरा रह गया। निष्कर्ष मौजूदा वसूली प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करने और उन्हें मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्व हितों की रक्षा करने और कर बकाया के आगे संचय को रोकने का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो।

अनुशंसाओं का सारांश

इस रिपोर्ट में 28 सिफारिशें हैं जिनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- *उच्च जोखिम बनाम कम जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के लिए डेटा का वर्गीकरण आवश्यक है। आयकर विभाग उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करने और उन्हें अलग करने के लिए ई-फाइलिंग/आईटीबीए से डेटा निकालने के लिए एक प्रणाली/सक्षम प्रावधान विकसित कर सकता है, जिससे कर निर्धारण अधिकारी/टीआरओ संग्रह प्रक्रिया में सतत प्रयास करने में सक्षम हो सकें।*

  (पैरा 4.2.7)

- *सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि निरस्त किए गए निर्धारण का विवरण आईटीबीए रिकवरी सिस्टम मॉड्यूल में अद्यतन किया जाए, ताकि मांग की वर्तमान और वास्तविक स्थिति को दर्शाया जा सके तथा बढ़ी हुई, गैर-मौजूद मांगों को दर्शाने से बचा जा सके।*

  (पैरा 5.3.2)

- *सीबीडीटी कुर्क की गई परिसंपत्ति की प्रकृति और बकाया मांग की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उन मामलों में वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार कर सकता है जहां अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों को लागू किया गया था।*

  (पैरा 5.3.4)

- *सीबीडीटी निर्दिष्ट सीमा से अधिक बकाया मांगों के सभी मामलों के लिए डोजियर तैयार करना सुनिश्चित करे तथा अपने दिनांक 16/09/2015 के निर्देश संख्या 10/2015 के अनुपालन की निगरानी करे।*

  (पैरा 6.2.1)

- *सीबीडीटी टीआरसी की तेजी से निपटान सुनिश्चित करने और वसूली प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उपयुक्त निर्देश और अनुवर्ती प्रक्रियाएं जारी कर सकता है। सीबीडीटी उन मामलों में कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है जहां बिना किसी औचित्य के अत्यधिक देरी देखी गई है।*

  (पैरा 6.3.1)

- *सीबीडीटी सीपीसी-आईटीआर पोर्टल पर दर्शाई गई बकाया मांग का सीएपी-। विवरण के साथ प्रभावी समाशोधन सुनिश्चित कर सकता है, ताकि प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग में एकरूपता और शुद्धता सुनिश्चित हो सके, जिससे सही बकाया मांगों की वसूली हो सके और वास्तविक बकाया मांग में कमी की निगरानी की जा सके।*

  (पैरा 7.2.3)

- *सीबीडीटी को वार्षिक सूचना विवरणी (एआईएस) में विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त स्थायी खाता संख्या (पैन) विवरणों को 'पता न लगने वाले करदाताओं' के अंतर्गत वर्गीकृत मांगों के पैन विवरणों के साथ मैप करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि करदाताओं की पहचान*

की जा सके और उन पर नज़र रखी जा सके, या तो कर निर्धारण के समय या कर निर्धारण पूरा होने के बाद।

(पैरा 7.3.4)

- *सीबीडीटी ' मांग की वसूली में कठिनाई' श्रेणी के अंतर्गत दिखाए गए कारकों के वर्गीकरण की समीक्षा कर सकता है, ताकि सीएपी-। रिपोर्ट में केवल वास्तविक बकाया मांग ही दर्शाई जाए। 'मांग की वसूली में कठिनाई' के अंतर्गत सुरक्षात्मक मांग और टीडीएस बेमेल के मामलों के आंकड़ों को शामिल करने से बकाया मांग की स्थिति की गलत तस्वीर सामने आती है।*

(पैरा 7.3.5 और 7.3.6)

- *सीबीडीटी सारांश निर्धारण के तहत बकाया मांगों की वसूली को प्राथमिकता दे सकता है, क्योंकि वे किसी अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित नहीं हैं, तथा वसूली योग्य हैं।*

(पैरा 7.5)